

Seventeenth Loksabha

>

Title: Issue regarding taking of subjects other than listed in the list of Business.

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : सर, ये लोग हर रोज बिना पूछकर बिल लाते हैं । ... (व्यवधान) हमारे संज्ञान में लाए बिना में ये बिल लाते हैं । ... (व्यवधान) एक के बाद एक बिल लाया जा रहा है । ... (व्यवधान) यह क्या हो रहा है? रात दस बजे हमें मालूम पड़ता है कि अगले दिन ये-ये बिल आएंगे । ... (व्यवधान) मैं अपने मेंबर्स को कैसे प्रिपेयर करूंगा? ... (व्यवधान) मैं अपनी स्पीकर्स लिस्ट कैसे तैयार करूंगा? ... (व्यवधान) धड़ल्ले से बिल लाए जा रहे हैं । ... (व्यवधान)

सर, एट लीस्ट हमें दो दिनों की मोहलत दी जानी चाहिए । ... (व्यवधान) हमें 48 आवर्स की मोहलत मिलनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने स्पीकर्स को तैयार करना होता है । ... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : अध्यक्ष जी, इस संबंध में अधीर रंजन चौधरी जी को भी जानकारी है कि बिल सदन में इंट्रोड्यूस होते हैं । ... (व्यवधान) इसके बाद बिल्स पर बीएसी में चर्चा होती है, फिर मैं यहां सदन में रिपोर्ट पेश करता हूं । ... (व्यवधान) सबको पता है कि बिल्स आ रहे हैं । ... (व्यवधान) वही बिल्स आ रहे हैं, जिनके लिए बीएसी में टाइम अलॉट किया गया है । ... (व्यवधान) कल मैंने आपके चीफ व्हिप को बताया था कि ये-ये बिल्स आने वाले हैं । ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्लीज़, आप बैठ जाइए ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दादा, मैं आपको अलाऊ करूंगा, आप एक मिनट बैठकर मेरी बात सुन लीजिए ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लें । मैं सबके प्रश्नों का जवाब दूंगा ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब एक मिनट के लिए बैठ जाइए ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हां, इसके बाद मैं आपको अलाऊ करूंगा ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जो भी बिल्स लाये जाते हैं, उनके संबंध में आपने यहां विषय उठाया है । इस पर जब बीएसी की मीटिंग होगी, तब उसमें हम बैठकर डिटेल में चर्चा कर लेंगे । ऐसे सारे बिल्स जो यहां लाए गए हैं, उन सारे बिलों के बारे में बीएसी में हमारी चर्चा हो चुकी है ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दादा, अब आप बोलिए ।

... (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I have a point of order under Rule 25 and Rule 31(i). Rule 31(i) says and I quote:

“A List of Business shall be prepared by Secretary-General and copy thereof shall be made available for the use of every Member.”

In yesterday's List of Business three Bills were listed for being taken up. The first one was Inter-State River Water Dispute (Amendment) Bill; second one was the Dam Safety Bill. So, hon. Members prepared for the Dam Safety Bill knowing that the Bill would be taken up for discussion today. Suddenly, this morning we find that the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill has been listed in today's List of Business. The Bill on POCSO has been listed and also the Arbitration and Conciliation Bill has also been included.

The Parliament cannot function at the whims and fancies of anyone. Neither the Minister of Parliamentary Affairs, nor his Minister of State, nor the Secretary-General can change parliamentary functioning at their will. You may kindly look at rule 25.

“On days allotted for the transaction of Government Business, such business shall have precedence and the Secretary-General shall arrange the business in such order as the Speaker may, after consultation with the Leader of the House, determine.”

The Business Advisory Committee does not come in this. You are mentioning about Business Advisory Committee but the purpose of the Business Advisory Committee is only to fix the time. Order of Business and List of Business is prepared by the Lok Sabha Secretariat. ...(*Interruptions*)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): बी.ए.सी. में टाइम अलॉट हुआ है और बिल सर्कुलेट हुआ है। ...(*व्यवधान*) What is the problem in that? ...(*Interruptions*) Discussion under Rule 193 was never agreed. Please understand that this is an extended period of Session. The purpose of extension is that there is very serious and important Government Business to be considered. That is the reason for the extension of the Session. I earnestly appeal to you to cooperate with the Government. We can have a Short Duration Discussion during a regular Session. We do not have any problem in that. ...(*Interruptions*)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Sir, I would like to refer to rule 25. It says:

“On days allotted for the transaction of Government business, such business shall have precedence and the Secretary-General, shall arrange that business in such order as the Speaker may, after consultation with the Leader of the House, determine:”

इन्होंने कहा कि डैम सेफ्टी बिल मत लाइए तो इनके कंसल्टेशन पर आपने तय किया था। हमारा तो लिस्टिड था। कांग्रेस के नेता ने कहा था कि आज आप इसको मत लाइए, इसके आगे ले जाइए। हमने इनके आधार पर और इनके कहने पर आपसे रिक्वेस्ट की और आपने कहा कि इसको आगे ले जाइए। इसमें हमारी कहां गलती है? हमारी इसमें कोई गलती नहीं है ...(*व्यवधान*)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, जब इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट और डैम सेफ्टी बिल को क्लब करने की बात कह रहे थे तो मैंने कहा कि एक अमेंडमेंट है और एक नया बिल है। इनको आप क्लब नहीं कर सकते हैं। आप अमेंडमेंट पर अलग चर्चा कीजिए और बिल पर अलग से चर्चा कीजिए। ...(*व्यवधान*)

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, I would like to place on record that Dam Safety Bill was requested by...
(Interruptions) सुदीप दा आप एक मिनट सुनिए ...*(Interruptions)* As far as Dam Safety Bill is concerned, Shri Adhir Ranjan Chowdhury requested me not to take it up and thus, we have postponed it. We have talked to the Leader of the largest Opposition Party. What wrong has the Government done? We have spoken to him.
 ...*(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष: मैं अभी आपको नियम बता दूंगा, पहले आप बोल लें। आप नियम-प्रक्रिया को तो मानेंगे। मैं आपको नियम प्रक्रिया बता दूंगा। दादा आप ऊपर का हिस्सा पढ़ते हैं, नीचे का हिस्सा नहीं पढ़ते हो।

...(व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, confusions are being created here. Once you have circulated the List of Business, then it is becoming Revised List of Business again after 9 p.m. When the subjects to be discussed were settled and decided yesterday, we allotted time in the BAC meeting and nothing more. But we have no idea and no feeling on what Bills will be coming up tomorrow. There is no time for preparation, reading and studying them. I feel that the Government should circulate the Bills to be taken up the next day. ...*(Interruptions)*

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, two things are there. One is existence of power and the other is exercise of power. We are not questioning the existence of power. The question is how you are exercising that power. Power is being exercised very capriciously and whimsically. We are on that point. You have power. You have the power to throw all of us out immediately in five minutes. There is no difficulty in understanding that. You can say this. ...*(Interruptions)*

But how is the power being exercised? ...*(Interruptions)* The power is being exercised arbitrarily. While everyone is ready for one Bill, you are bringing another Bill....*(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष: आपके नेता बोल चुके हैं, इसलिए आप रहने दें।

...(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सर, मैं संक्षेप में बोल रहा हूँ कि लोक सभा के जो कार्यकर्ता हैं, विभिन्न सांसदों के पास आकर कल हमें बताया गया कि आज नियम 193 के तहत डिस्कशन ऑन फ्लड आ सकता है। यही संदेश हमने अपने बिहार, असम, और देश के विभिन्न प्रान्तों, जहाँ पर बाढ़ आ रही है, वहाँ की मीडिया और लोगों को हम संदेश दे चुके हैं। आज आप बाढ़ पर चर्चा न करके क्या संदेश दे रहे हैं? क्या आपके लिए बिल जरूरी है, बाढ़ पर चर्चा जरूरी नहीं है? ...
 (व्यवधान) आज नियम 193 के तहत डिस्कशन ऑन फ्लड होना चाहिए था। ...*(व्यवधान)* क्यों नहीं है? आप इतने दिनों से इस चर्चा को स्थगित कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती कनिमोझी जी।

SHRIMATI KANIMOZHI (THOOTHUKKUDI): Sir, every day, this is becoming a practice in this House.

We have come to understand or generally, the practice is that if the Bill is not taken up on the given day, it will be taken up the next day. But suddenly, a new practice has come up that till 9 o'clock, 10 o'clock or 11 o'clock, we have to wait for the Revised List of Business, and completely new Bills are brought in. Every day, this is becoming the practice. There is a decorum to be followed in this House. I am sure, the Government also does not want to spoil that. We all want to work together. You wanted to extend the House.

We are cooperating with you but you cannot take us for granted to this extent. You have to respect the hon. Members....(Interruptions)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I strongly endorse everything that the hon. Members just now said. But I want to ask you a simple question. It is a technical question but an important one. Have you suspended the directions given by the hon. Speaker of the Lok Sabha? We are seeing that this Government has been ignoring the existing directions in force on every issue. Just look at Rules 19A and 19B about two days' notice for Bills. Look at the rule which states about circulation of Bills to the State Governments. You have not considered any of these. ... (Interruptions) So, my question is this. As long as these directions are in force, can you request the Government to comply with it? ... (Interruptions) I am sorry, this is the document of the House....(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया शांत रहें ।

...(व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर): 15 दिन पहले बिल इंट्रोडक्शन हो गया है । आप क्या बात कर रहे हैं? ... (व्यवधान)

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, the Bills have already been circulated. ... (Interruptions) They were introduced more than 15 days ago. ... (Interruptions)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Manishji, he is speaking about circulation of Bills. ... (Interruptions) You are on a different point but he is speaking about circulation of Bills. ... (Interruptions)

SHRI PRALHAD JOSHI : Sir, the Bills have already been circulated. This is point number one. ... (Interruptions) The Bills have been circulated. ... (Interruptions)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: He is speaking about circulation of Bills, and you are on a different point. ... (Interruptions)

SHRI PRALHAD JOSHI: You are on a different point. ... (Interruptions) We cannot answer every point. ... (Interruptions) I can only say that the Bills have been circulated, and there is a precedence of Revised List of Business. ... (Interruptions) Every Friday, the entire business of the week is announced in the Lok Sabha, and the time is allotted by the BAC.... (Interruptions) So, I appeal to you to kindly cooperate as there are so many Bills.... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण । दादा आप कृपया शांत रहें ।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, हम लोग बराबर इनकी मदद करते हैं, क्योंकि सदन चलाना इनकी जिम्मेदारी भी है और हमारी भी । हम कभी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागते हैं । बीएसी मीटिंग से कौन सा बिल आने वाला है, उसका समय निर्धारित होता है । आपने डैम सेफ्टी बिल की बात उठाई, तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा कि जो इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट है, यह एक अमेंडमेंट है । डैम सेफ्टी एक नया बिल है । इन दोनों को क्लब मत करिए । ... (व्यवधान) । मेरी बात सुनिए । मैंने यह कहा कि इनको क्लब मत करिए, लेकिन यह बात नहीं कही कि इसको हटाकर आप दूसरे दिन चर्चा में ले आएँ ।

माननीय अध्यक्ष: आपकी बात से सहमत हैं ।

श्री अधीर रंजन चौधरी : मैंने क्लब करने से इसलिए मना किया, क्योंकि यह कानून के मुताबिक नहीं है। मेरी बात सही है कि नहीं, इसे आप ऑफिशियल्स से पूछ सकते हैं। अमेंडेमेंट्स के साथ नए बिल पर चर्चा नहीं की जाती।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया शांत रहिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी: आप एक बार बिना पूछे सदन का समय बढ़ाते हैं, फिर दोबारा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से आप हमें टेकेन फॉर ग्रांटेड मत किया कीजिए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने सभी विद्वान माननीय सदस्यों की बात सुनी है और नियम प्रक्रिया का हवाला देकर भी मैं नियम प्रक्रिया पढ़ सकता हूँ, जो दादा प्रोफेसर सौगत राय जी ने बताया है। लेकिन, दादा ने एक हिस्सा बताया है, नीचे का हिस्सा नहीं बताया है, क्योंकि दादा प्रोफेसर हैं। मैं दादा के जितना विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन आप सबने मुझे सर्वसम्मति से स्पीकर बनाया है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सभी माननीय सदस्यों की सर्वसम्मति से इस सदन को चलाऊँ। आपने जो विषय उठाया है, इस विषय पर मैं बीएसी में दोबारा आपसे चर्चा करूँगा।

प्रो. सौगत राय: सर, लिस्ट ऑफ बिजनेस, बीएसी का सब्जेक्ट नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: दादा, मुझे याद है। मैं बीएसी में चर्चा करूँगा और मैं आपकी अपेक्षाओं के अनुसार बिल लगाने से पहले मैं व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखूँगा कि जो बिल लग रहा है, उसकी सूचना सभी माननीय सदस्यों को कम से कम एक दिन पहले अध्यक्ष के ऑफिस से दी जाएगी, ताकि आप सभी पूरी तैयारी कर लें।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: Sir, we accept it ...(*Interruptions*)

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Sir, what about today?...(*Interruptions*)

एक माननीय सदस्य : आज क्या होगा?

माननीय अध्यक्ष: आज वह होगा, जो अध्यक्ष चाहेंगे। आइटम नंबर 1, महासचिव।

11.16 hrs

MESSAGES FROM RAJYA SABHA